कार्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, कैमूर (भभुआ)

शिक्षा भवन, समाहरणालय रोड, भभुआ

Email-ssakaimur@gmail.com, Website-bepkaimur.org, Mob. No. 8544411412

पत्रांक: VIII/RTE/ 2017-18/48-/ 240 ...., दिनांक:-....15/6/21.........

प्रेषक :—

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
समग्र शिक्षा अभियान,
कैमूर (भभुआ)।

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, सैथा, जदुपुर, भभुआ।
जिला—कैमूर

विषय :— बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के अधिनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय के प्रस्वीकृति अवधि को विस्तार करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक—AIE/270दिनांक 17.03.2018 के द्वारा आपके विद्यालय को प्रस्वीकृति दी गई थी। जिसकी प्रस्वीकृति संख्या—051 / 2015 है। जिला शिक्षा पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष प्रस्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त अगले तीन वर्ष के लिए भूतलक्षी प्रभाव से प्रस्वीकृति अवधि विस्तार दिनांक—16.03.2024 तक की जाती है। प्रस्वीकृति हेतु निर्धारित शर्तो के निबंधन किए जाने की स्थिति में प्रस्वीकृति समाप्त की जाएगी।

नोट— निदेशक प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, पटना के पत्रांक—विविध—42 / 2017—1422 दिनांक—22.10.2019 में अंकित किया गया है कि भारत सरकार के पत्रांक—17—2 / 2017 EE.17 दिनांक—03.08.2017 के आलोक में सूचित किया गया था कि संसद द्वारा RTE की धारा 23 की उपधारा 2 मे संशोधन करते हुए यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, अर्थात 31.03.2019 तक सभी राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक को प्रारम्भक स्तरीय प्रशिक्षण D.El Ed प्रदान कर दिया जाना है, अर्थात 31.03.2019 के पश्चात सरकारी / गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षित ही होंगे।

विश्वासभाजन

15.6.21

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

15/6/21/समग्र शिक्षा अभियान, कैमूर (भभुआ)

CamScanner

कार्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, कैमूर (भभुआ)
लिच्छवीभवन के सामने, समाहरणालय रोड, भभुआ

पत्रांकSSA/A1K/270/भभुआ, दिनांक 17/3/18/

प्रेषक:-

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,
सह सचिव, प्रस्वीकृति समिति,
कैमूर (भभुआ)

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक
डी० ए० वी० स्कूल,
सैथा जदुपुर, जिला- कैमूर (बिहार)

विषयः- बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र पर और उसके क्रम में निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा विद्यालय के किए गये निरीक्षण तथा दिनांक 19.02.2018 को आयोजित प्रस्वीकृति समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में आप के विद्यालय डी० ए० वी० स्कूल, सैथा जदुपुर, जिला- कैमूर (बिहार) को कक्षा प्रथम से आठवी तक संचालन हेतु तीन वर्षो तक दिनांक 17/03/2018 से 16/03/2021 अवधि के लिए औपबंधित प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :-

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा नर्सरी या कक्षा 1 में (जो विद्यालय की शुरूआती कक्षा हो) बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हे मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णतः तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय के पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उप धारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

CamScanner

6. विद्यालय किसी बच्चें के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :–

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक जो निर्धारित न्यूतम योग्यता नहीं धारित करते है वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

(vii) शिक्षक नियम कि धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) विद्यालय में कार्यरत शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है :–

a) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल – 87119.86 वर्गफीट
b) कुल निर्मित क्षेत्रफल – 15715.3 वर्गफीट
c) खेल. का मैदान का क्षेत्रफल – 71404.55 वर्गफीट
d) वर्ग कक्षों की कुल संख्या – 31
e) प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भण्डार कक्ष की संख्या – 2
f) बालक/बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय की संख्या – 24
g) पेयजल की सुविधा – आर0 ओ0, नल
h) रसोईघर – हाँ
i) बाधारहित पहुँच – हाँ
j) शिक्षण अधिगम समाग्री/खेलकुद उपकरण/पुस्ताकालय – हाँ

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधन सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणिकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान को भेजी जायेगी।

16. आप के विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या ....0106/2018.... है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा समय–समय पर मांग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लागातार रूप से पूरा कराने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संवंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालयों के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुलग्नक *III* के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

विश्वासभाजन

[signature]

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,
सह सचिव, प्रस्वीकृति समिति,
कैमूर (भभुआ)

17/7/18

CamScanner